कार्यालय प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान केन्द्र मझेडा, पो0 गरमपानी, जिला नैनीताल

पत्रॉक अ0के0म0/ 203 दिनॉकः 01.02.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा में निम्नानुसार पुरानी सामग्री नीलामी हेतु उपलब्ध है, जिसकी निलामी केन्द्र में दिनांक 24 फरवरी, 2021 समय 11.30 (पूर्वान्ह) से प्रारम्भ होगी । इच्छुक केताओं से अनुरोध है कि नीलामी में सम्मिलित होने से पूर्व अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा में उक्त सामग्री का निरीक्षण कर लें, जिसे किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है, बाद में किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा ।

1. लैब से सम्बन्धित पुराने उपकरण
2. पुराना कार्यालय फर्नीचर
3. पुराने फील्ड टूल्स
4. अन्य विविध सामग्री
5. पुराने फील्ड इक्विपमैन्ट्स
6. पुराने कार्यालय उपकरण
7. अतिथि गृह की पुरानी सामग्री

नियम व शर्तें

1. उक्त सामग्री का जहॉं है जैसा है के आधार पर नीलामी बिक्री किया जायेगा एवं उसकी मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है
2. बोली बोलने से पूर्व बोली दाता को रू0 2000.00 जमानत राशि के रूप में नकद केन्द्र कार्यालय में जमा करनी होगी। उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष बोलीदाताओं को बोली समाप्त होने के पश्चात जमानत राशि वापस कर दी जायेगी ।
3. सफल बोलीदाताओं को सामग्री की बोली की कीमत का 25 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में तुरन्त जमा करना होगा ।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही सामग्री उठाने के आदेश निर्गत किये जायेगें।
5. शेष धनराशि आदेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर नियमानुसार जी0एस0टी0 कर सहित जमा करने के उपरान्त सामग्री उठानी होगी ।
6. नीलामी के बाद किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।
7. नीलामी समिति के अध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त कर सकता है ।
8. बोली जिसके नाम छूटेगी सामग्री उसे या उसके द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति को ही दिया जायेगा ।
9. पूर्ण बिक्री मूल्य जमा होने एवं आदेश पत्र निर्गत होने के पश्चात भी यदि 15 दिन तक सामग्री नहीं उठायी गयी तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी केता की होगी ।
10. केता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड/आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी आवश्यक होगी ।

प्रभारी अधिकारी
अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा
Officer Incharge,
Research Station, Majhera.

प्रतिलिपिः– 1. निदेशक अनुसंधान केन्द्र को सूचनार्थ ।
2. सभी सार्वजनिक स्थालों पर चश्पा हेतु
3. भण्डार कय अधिकारी, पन्तनगर ।